न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 40/2023

राजस्थान सरकार जरिये, थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ़ जिला अजमेर

...........प्रार्थी

बनाम

गोकुल सिह राठौड व अन्य ....अप्रार्थी

उपस्थित :-

श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार

श्री भगवान सिंह चौहान अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

(जब्त ट्रांसफार्मर ऑयल व ड्रम तथा अन्य जब्त सामान को निर्मुक्त करने बाबत)

आदेश

दिनांक– 04.04.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी श्री गोकुल सिंह राठौड के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए ई.सी. एक्ट में जब्त ट्रांसफार्मर ऑयल व ड्रम तथा अन्य जब्त सामान को निर्मुक्त करने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पुलिस थाना किशनगढ़, जिला अजमेर में डी.एस.ओ अजमेर द्वारा एफ. आई. आर. संख्या 41/2023 अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में दर्ज करवाई है। उक्त प्रकरण में 63 लोहे के ड्रम भरे हुए मय 13,400 लीटर टांसफार्मर ऑयल, 100 खाली ड्रम, एक निम्सर ब्लेण्डर मशीन, तीन इलेक्ट्रिक मोटरे एक गेट, लगभग 10 मीटर लम्बा इलेक्ट्रिक वायर मय एक्सटेंशन बोर्ड, तीन लोहे के पाईप, लम्बाई लगीाग 5 फिट प्रत्येक मोटाई एक इंच, एक प्लास्टिक पाईप, माटाई डेढ इंच लम्बाई लगभग 10 फीट जिसके एक सिरे पर पीतल का वाल्व व लोहे का एल्बो लगा हुआ, एक सिरे पर पीतल का वाल्व व लोहे का एल्बो लगा हुआ, एक प्लास्टिक पाईप मय फलेच मोटाई डेढ इंच लम्बा लगभग 4 फीट तथा 27 जरीकेन प्लास्टिक में खाली 25–30 लीटर माप क्षमपता के जब्त किऐ गए। प्रार्थी ने राज्य सरकार से ऑयल ग्रीस (स्नेहक तेल) के व्यवसाय बाबत लाईसेंस ले रखा है जो लाईसेंस नं0 402/2004 है तथा दिनांक 19.08.2024 तक वैध है। प्रार्थी उक्त लाईसेंस के तहत ही विधि सम्वत तरीके से कार्य करता आ रहा है इसी लाईसेंस के तहत ही कार्य करते हुए प्रार्थी ने कोलम्बिया पेट्रो केम्ब प्राइवेट लिमिटेड, सिलवासा से दिनांक 17.02.2022 को ट्रांसफार्मर ऑयल जरिए बिल नं0 एसएल/21–22/02509 कय किया था तथा अपने गोदाम में मंगवाया था, प्रार्थी ट्रांसफार्मर ऑयल का ही कय विकय कार्य करता रहा । टांसफार्मर ऑयल को डीजल मानकर गलत मुकदमा दर्ज करवाया है केवल डेनसीटी के भ्रम में प्रार्थी का उक्त ट्रांसफार्मर ऑयल जब्त किया गया है जबकि ट्रांसफार्मर ऑयल की डेनसिटी तापमान पर निर्भर करती है तथा यह अधिकतम 895 किलोग्राम प्रति घन मीटर तक हो सकता है इस प्रकरण में ई.सी एक्ट का अपराध बनना नहीं पाया जाता है। पुलिस थाने में उक्त टांसफार्मर ऑयल से भरे ड्रम खुले में पडे है जो गर्मी के कारण फटकर नष्ट हो रहे है उचित रखरखाव के अभाव में उक्त ट्रांसफार्मर ऑयल की गणवक्ता भी खराब हो रही है तथा उसका लगातार क्षरण हो रहा है प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपने उक्त सामान को प्राप्त करने के लिए तत्पर है तथा पर्याप्त सिक्योंरिटी देने के लिए तैयार है। अतः उक्त प्रकरण में जब्तशुदा ऑयल तथा खाली ड्रम व अन्य उपरोक्त सामान को निर्मुक्त कर प्रार्थी को दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जिला रसद अधिकारी अजमेर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर को टिप्पणी हेतु पत्र प्रेषित किए गए। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री भगवान सिंह चौहान उपस्थित आये। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते जब्त शुदा ट्रांसफार्मर ऑयल व खाली ड्रम व अन्य सामान को निर्मुक्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया। दौराने सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया ।

पैरोकार सरकार ने अपील टिप्पणी दिनांक 29.03.2023 प्रस्तुत कर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 14.02.2023 को श्री विनय कुमार शर्मा जिला रसद अधिकारी, अजमेर मय जांच दल के मैसर्स भवानी ऑयल एण्ड केमीकल्स (भवानी ऑयल एजेन्सी) जी 1 204 सिलोरा रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, किशनगढ पर पहुँचे एवं जांच कार्य सम्पन्न किया जिसमें अनियमतितायें पाई गई। मौके पर फर्म मैसर्स भवानी ऑयल एण्ड केमीकल्स का परिसर बंद पाया गयाा । दूरभाष पर संम्पर्क कर फर्म मालिक का मौके पर उपस्थित होने तथाा जांच कार्य संपादित करवाने के लिए कहा, जिस पर कुछ समय बाद राकेश कुमार माली निवासी उदयपुर कलां उपस्थित हुआ तथा परिसर का ताला खोला और बताया कि इस फैक्ट्री के मालिक श्री गोकुल सिंह राठौड है जो कुछ देर में यहॉ आ रहे है। कुछ देर बाद भी गोकुल सिंह राठौड उपस्थित हुए जिन्होनें जानकारी लेने पर स्वयं को इस फैक्ट्री (परिसर) का मालिक होना बताया तथा अपना पता पुत्र श्री भोपाल सिंह राठौड निवासी नोबल स्कूल भैरव नगर के पास किशनगढ (अजमेर) बताया गया । परिसर में मुख्य दरवाजे से अन्दर बांयी और चबूतरे पर एक कमरा बना हुआ तथा परिसर में जहॉ तहॉ लोहे व प्लास्टिक के ड्रम खाली पाये गये, भरे ड्रमो के बारे में श्री गोकुल सिंह से जानकारी लेने पर उसने बताया कि इन सभी भरे ड्रमो में एक ही प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है इस पर यादृच्छिक रूप से ड्रमों को खोलकर देखने, स्पर्श करने व सूंघने पर एक ही प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया इस पेट्रोलियम पदार्थ की जांच हेतु श्री नमोनारायण मीणा, वरिष्ठ प्रबन्धक एचपीसीएल अजमेर को जरिए दूरभाष जांच कार्य में सहयोग व सैम्पलिंग हेतु मौके पर उपस्थित होने के लिए कहा। परिसर की जांच करने पर परिसर में एक लम्बी छडनुमा लम्बाई लगभग 5 फुट जिसके एक सिरे पर इलेक्ट्रिक वायर मय थ्रीपिन व दूसरे छोर पर द्रव पदार्थ को मथने का यंत्र लगा हुआ पाया गया । इसके पास ही लगभग 10 मीटर लम्बा इलेक्ट्रिक वायर मय एक्सटेंशन बोर्ड पाया गया । परिसर में एक इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप, एक अन्य इलेक्ट्रिक मोटर तथा कमरे में एक अन्य इलेक्ट्रिक मोटर पाई गई । मौके पर पाये गए द्रव पदार्थ को मथने का यंत्र (मिक्सर ब्लेण्डर बडी मशीन) को इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाकर चलाया गया तो वह कार्यशील पाया गया। इसी बडी मिक्सर ब्लेण्डर मशीन के बारे में श्री गोकुल सिंह से पूछताछ की तो उसने बताया कि यह ममशीन भिन्न भिन्न पेट्रोलियम पदार्थो को ड्रमों में भरते समय पेट्रोलियम पदार्थ को टैकर से ड्रमो से टैंकर में आवश्यकतानुसार भरने के काम में लिया जाता है। श्री गोकुल सिह ने पेट्रोलियम पदार्थो के खरीद बिल प्रस्तुत किये जिनमें से एक बिल कमांक एसएल / 21–22 / 02819 दिनांक 29.03.2022 जो कोलम्बिया पेट्रो केम प्राइवेट लिमिटेड ATHAS SDLAASSa दादरा नागर हवेली दमन दीव फर्म द्वारा जारी होना पाया गया जो बिल में ट्रान्सफार्मर ऑयल HSN/SAC 27101990 मात्रा 24392 लीटर दर 68 रूपये प्रति लीटर अंकित पाई गई। इसी प्रकार एक अन्य खरीद आपूर्तिकर्त्ता के बिल संख्या SL/21-22/02509 दिनांक 17.02.2022 मात्रा 20097 लीटर दर 60.50 रूपये प्रति लीटर, बिल संख्या SL/21-22/02284 दिनांक 30.01.2022 मात्रा 24873 लीटर दर 57.00 रूपये प्रति लीटर तथा एक अन्य भिन्न प्रकार के बिल मैसर्स अनिल पेट्रो लेब प्राइवेट लिमिटेड मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर से खरीद का प्रस्तुत किया गया जिसका बिल कमांक 398 / 2021–22 दिनांक 06.09.2021 उत्पाद Base

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

Oil Hsn 271019 मात्रा 2420 लीटर दर 59.32 प्रति लीटर अंकित पाई गई। श्री गोकुल सिह द्वारा उक्त खरीद बिलो के अतिरिक्त एक बिक्री बिल भी प्रस्तुत किया गया जिसमें बिल कमांक 36 दिनांक 03.02.23023 उत्पाद Process Oil Hsn/SAC Code 2710 मात्रा 12000 लीटर दर 60.00 रूपये प्रति लीटर अंकित पाई गई। इस बिल पर क्रेता भार पेट्रो इण्डस्ट्रीज प्लॉट नम्बर 3ए पावर हाउस के पास खोडा माता इण्डस्ट्रियल एरिया सिलोरा मदनगंज किशनगढ अजमेर के नाम से जारी होना पाया गया । उक्त बिल श्री अजय सैनी पुत्र श्री राकेश कुमार सैनी, निवासी उदयपुर कला सिलोरा किशनगढ ने स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये तथा स्वयं को फर्म भवानी ऑयल एजेन्सी पर आउंटस सम्बन्धी कार्य करना बताया । श्री गोकुल सिंह राठौड से उक्त खरीद व बिक्री बिलो के पेट्रोलियम पदार्थ के कारोबार के सम्बन्ध में दस्तावेज अनुज्ञप्ति पत्र मांगने पर कोई दस्तावेज जांच हेतु प्रस्तुत नही किए और न ही संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया गया । वक्त जांच मौके पर आये श्री नमोनारायण मीणा वरिष्ठ प्रबंधक एचपी.सीएल तथा जय भवानी सर्वित सेन्टर आई ओ सी एल पेट्रोल पम्प के कार्मिक श्री जितेन्द्र कुमावत के द्वारा ड्रमो में भरे पेट्रोलियम पदार्थ की डेनसिटी लेकर डेनसिटि 832 होना बताया गया । वक्त जांच श्री नमोनारायण मीणा द्वारा खरीद व बिग्री के बिलो का अवलोकन किया गया एवं परिसर में खुले में ड्रमो में पेट्रोलियम पदार्थ (डीजल समकक्ष) के भण्डारण व व्यवसाय को पेट्रोलियम नियमों का उल्लंघन होना एवं सुरक्षा की दृष्टि से मानव जीवन के लिए जोखिमपूर्ण व दुर्घटनाकारक बताया । वक्त जांच पर फर्म मैसर्स भवानी आयॅल एजेन्सी द्वारा बिना वैध अनुज्ञप्ति तथा दस्तावेजो के अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थो का भण्डाण, मिश्रण, खरीद बिक्री, पेट्रालियम पदार्थ का डीजल समकक्ष होने पर वाहनो में ईधन के रूप में प्रयुक्त किये जाने की प्रबल संभावना होने तथा आस पास में बडी औघोगिक इकाईयो में भारी मशीनरी लगी होने से कभी भी बडी जन हानि दुर्घटना घटित होने की आशंका होने एमएस/एसएसडी आदेश 2005 के प्रावधारो का स्पष्ट उल्लघन पाये जाने पर उक्त फर्म से 63 लोहे के ड्रम भरे हुए मय 13400 लीटर पेट्रोलियम पार्थ, 100 खाली ड्रम, एक बडी मिक्सर ब्लेण्डर मशीन, तीन इलेक्ट्रिक मोटरे, एक गेज, लगभग 10 मीटर लम्बा इलेक्ट्रिक वायर मय एक्सटेशन बोड, तीन लोहे के पाईप लम्बाई लगभग 5 फीट प्रत्येक मोटाई एक इंच, एक प्लास्टिक पाईप मोटाई डेढ इंच लम्बाई लगभग 10 फिट जिसके एक सिरे पर पीतल का वाल्ब व लोहे का एल्बो लगा हुआ, एक प्लास्टिक पाईप मय फलेंच मोटाई डेढ इंच, लम्बाई लगभग 4 फिट तथा 27 जरिकेन प्लास्टिक के खली (क्षमता 25 से 50 लीटर माप के) को राज्यहित में कब्जेराज लिया जाकर सुरक्षित यथा स्थिति माननीय न्यायालय/सक्षम स्तर के अग्रिम आदेशो तक सुपुर्दगी में पुलिस थाना किशनगढ को दिया गया। प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण सम्भव नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुपुदर्गीनामा खारिज फरमावे ।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर से टिप्पणी प्राप्त होना शेष है। साथ ही प्रकरण में एफ.एस.एल रिपोर्ट आना शेष है। अतः उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना सम्भव प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुदर्गीनामा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर।